बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

अधिसूचना

संख्या--1 / सा०सु० विविध 22 / 09 स.क.– 2302 पटना, दिनांक--9 / 11 / 11

1 / सा०सु०विविध--22 / 2009 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का सं. 56) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक अनुमण्डल में एक भरण–पोषण अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण–पोषण अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के समस्त सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हो, भरण–पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेशानुसार

ह0 / –

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

अधिसूचना

संख्या–1/सा०सु० विविध 22/09 स.क.– 722 पटना, दिनांक–3/4/13

बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अध्याय II के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भरण–पोषण अधिकरण में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करती है जो अपने योगदान की तिथि के प्रभाव से इस रूप में नियुक्त समझे जायेंगे:–

(क) संबंधित अनुमण्डल के दो सहायक लोक अभियोजक या उनके प्रतिनिधि;

(ख) संबंधित अनुमण्डल के दो सामाजिक/सामुदायिक कार्यकर्त्ता जो अनुमण्डल स्तर पर कार्य करते हो, जिनमें से एक महिला हो एवं

(ग) संबंधित अनुमण्डल के एक वरिष्ठ नागरिक (अवकाश प्राप्त सरकारी पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी)।

(2) (1) अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय ही भरण–पोषण अधिकरण का कार्यालय होगा।

(2) यह अधिकरण प्रत्येक माह में कम–से–कम दो बैठक अवश्य करेगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठक बुलायी जा सकेगी।

(3) बैठक में पाँच में से तीन सदस्यों की उपस्थिति में निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार
ह०/–
(राजित पुनहानी)
सरकार के सचिव।